इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016—कार्तिक 6, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 05/10/2016

क्रमांक 1616/मप्रविनिआ/2016 विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (यत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मांग–परक प्रबंधन) विनियम, 2016 से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ,–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मांग–परक प्रबंधन) विनियम, 2016'** है। (जी–42, वर्ष 2016)

(2) इन विनियमों का विस्तार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत् प्रदाय के लिए क्षेत्राधिकार से समवर्ती सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएं,–

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003);

(ख) "आधार रेखा आंकड़ा" से अभिप्रेत है, कार्यक्रम के प्रभाव के आकलन के लिए तुलना हेतु प्रारंभिक बिंदु प्रदान करने के लिए मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पूर्व विद्युत् के लिए प्रारंभिक आधार स्तर और/या मांग;

(ग) "ब्यूरो " से अभिप्रेत है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 2 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित ऊर्जा दक्षता;

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(ङ) "लागत प्रभावोत्पादक सूचकांक " से अभिप्रेत है मांग परक प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के संसूचक या फिर ऐसे किसी पूंजी निवेश के अभाव में जब उत्पादित तथा प्रदाय की गई ऊर्जा की लागतों से तुलना की जाए;

(च) "मांग–परक प्रबंधन" से अभिप्रेत है विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत मापयंत्र (मीटर) के परे निष्पादित कार्यवाहियां जिनका उद्देश्य

विद्युत के उपभोक्ता उपयोग में परिवर्तन से है, भले ही वह मांग में वृद्धि या कमी करने के प्रयोजन से हो, इसे उच्च तथा न्यून शीर्ष अवधियों के मध्य अन्तरित करने से हो या फिर इसके प्रबंधन से है जब भार की मांग सविरामी हो – जिनका समग्र लक्ष्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के हित में लागतों को कम करने से होता है;

(छ) "मांग–परक प्रबंधन संसाधन अधिग्रहण" से अभिप्रेत है ग्राहकों (उपभोक्ताओं), ऊर्जा सेवा कम्पनियों, गैर–शासकीय संगठनों, विनिर्माताओं/सामग्री प्रदायकों अथवा अन्य निजी क्षेत्र संगठनों के माध्यम से मांग–परक प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की क्रियाविधि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिणामी ऊर्जा तथा भार में कमी हेतु उन्हें भुगतान के साथ है ;

(ज) "ऊर्जा सेवा कम्पनी " कोई कम्पनी जो ग्राहकों (उपभोक्ताओं) को ऊर्जा दक्ष तथा भार प्रबंधन उपकरण और/या सेवाएं प्रदान करने संबंधी व्यापार में संलग्न है तथा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित हैं ;

(झ) "मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन " से अभिप्रेत है ऐसी गतिविधियां जो मांग–परक प्रबंधन/ऊर्जा–दक्षता कार्यक्रमों या उनके विपणन पर्यावरण के निष्पादन या उनके अन्य पहलुओं का मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन करती हैं ;

(ञ) "अनुश्रवण तथा प्रतिवेदित करना " से अभिप्रेत है ऐसी गतिविधियां जो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मांग–परक प्रबंधन/ऊर्जा–दक्षता कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करती हैं ।

3. मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्य, लक्ष्य तथा दिशा–निर्देश

1. आयोग, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा ब्यूरो द्वारा नामनिर्दिष्ट समन्वयन अभिकरण के परामर्श से मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्यों को प्रतिपादित करेगा जिन पर राज्य में लागत प्रभावी मांग–परक प्रबंधन के पहल संबंधी प्रयासों को अग्रसर करने तथा इनके कार्यान्वयन के दौरान विचार किया जाएगा ।

2. इन उद्देश्यों में विद्युत की कमी का निराकरण करना, मौसमी–शीर्ष में कमी

करना, लागत प्रभावी ऊर्जा की बचत विद्युत की लागत को कम करना, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्यों का विन्यास करते समय ब्यूरो द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय मांग–परक उद्देश्यों/योजनाओं, यदि कोई हों, पर भी विचार किया जा सकता है ।

4. मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्य, ब्यूरो द्वारा संस्थापित मांग–परक उद्देश्यों के अन्तर्गत देश के लिए प्रतिपादित की गई ऊर्जा संरक्षण योजना के सुसंगत होने चाहिए ।

4. मांग–परक प्रबंधन हेतु तकनीकी क्षमता का आकलन

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा ब्यूरो द्वारा पदाभिहित राज्य समन्वय अभिकरण इन विनियमों की अधिसूचना के दिनांक से छह माह के भीतर राज्य में मांग–परक प्रबंधन की संभावनाओं का आकलन करेंगे ।

2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मांग–परक प्रबंधन की तकनीकी संभावनाओं का आकलन करते समय ब्यूरो द्वारा विकसित की गई कार्य–पद्धति का अनुसरण करेंगे ।

5. मांग–परक प्रबंधन के लक्ष्य

(1) आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा ब्यूरो द्वारा नामोद्दिष्ट राज्य समन्वयन अभिकरण के परामर्श से मांग–परक प्रबंधन के लक्ष्य राज्य के प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु स्थापित करेगा ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, हेतु मांग–परक प्रबंधन के लक्ष्यों का निर्धारण करते समय उपभोक्ता मिश्र (consumer - mix), भार की रूपरेखा (load profile) जैसे कारकों पर यथोचित विचार किया जाएगा ।

(3) मांग–परक प्रबंधन के उदाहरणों में निम्न को शामिल किया जा सकता है:

(एक) भार वृद्धि में प्रतिशत कमी की जाना;

(दो) किलोवाट, किलोवाट ऑवर में बचत;

(तीन) भार की पूर्ति हेतु बचत, कुल संसाधनों के प्रतिशत के रूप में;

(4) लक्ष्यों का निर्धारण करते समय, राज्य की तकनीकी संभावनाओं जैसा कि इसका आकलन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो, पर भी विचार किया जाएगा ।

6. मांग–परक प्रबंधन प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देश

(1) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा ब्यूरो द्वारा पदाभिहित राज्य समन्वय अभिकरण के परामर्श से निम्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगा :

(क) भार तथा विपणन अनुसंधान

(ख) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(ग) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का लागत प्रभावोत्पादक आकलन

(घ) मांग–परक प्रबंधन योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(ङ) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु अर्हता के मानदण्ड

(च) मांग–परक प्रबंधन के लक्ष्यों को निर्धारित करने की क्रियाविधि तथा निधिका स्तर

(छ) आंकड़ा–आधाररित विकास संरचना

(2) आयोग, उपरोक्त विषयों पर समय–समय पर दिशाा – निर्देश जारी करेगा।

(3) इस प्रकार जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देश वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग–परक प्रअंधन योजना को तैयार करने तथा प्रस्तुति के लिए पूर्वापेक्षित नहीं होंगे।

7. मांग–परक प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन, इसकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार गठित किए गए मांग–परक प्रबंधन प्रकोष्ठ

को इन विनियमों के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक प्राधिकार तथा संसाधन प्रदान किए जाएंगे।

(2) मांग–परक प्रबंधन प्रकोष्ठ निम्न के लिए उत्तरदायी होगाः

(क) भार अनुसंधन तथा आधार–रेखा आंकड़े विकसित करना;

(ख) मांग–परक प्रबंधन योजना को प्रतिपादित करना;

(ग) मांग–परक प्रबंधन परियोजनाओं का रूपांकन करना तथा इनमें सम्मिलित है इन्हें विकसित करना, जिसमें लागत– लाभ विश्लेषण, क्रियान्वयन संबंधी योजनाओं, अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन तथा मापन एवं सत्यापन;

(घ) मांग–परक प्रबंधन योजना तथा वैयक्तिक कार्यक्रमों हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना;

(ङ) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(च) अन्य कोई अतिरिक्त कृत्य जैसे कि आयोग द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

8. भार तथा विपणन अनुसंधान तथा आधार –रेखा आंकड़ों का विकास.–

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक आकंड़ा– आधार तैयार करने के प्रयोजन से लक्ष्यबद्ध उपभोक्ता क्षेत्र(ों)/ मांग–परक प्रबंधन हेतु उपभोक्ता उपयोग हेतु भार अनुसंधान का कार्य हाथ में लेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विशिष्ट ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी तथा इनके अनुप्रयोगों के बारे में, विणपन की संभावनाओं का अनुमान लगाने हेतु प्रमुख निष्पादन संकेतकों की स्थापना करने तथा विद्यमान आधार–रेखा विणपन की परिस्थितियों के अवधारण हेतु विपणन अनुसंधान का कार्य हाथ में लेगा।

(3) भार तथा विपणन अनुसंधान से प्राप्त परिणामों के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत् प्रदाय क्षेत्र में आधार–रेखा आंकड़े विकसित किए जाएंगे।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपलब्ध आंकड़े तथा ब्यूरो द्वारा पूर्व में सम्पन्न कराए गए अध्ययनों के आधार पर कुछ प्रारंभिक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम रूपांकित,

विकसित तथा क्रियान्वित किए जाएंगे जब तक उसके प्रदाय क्षेत्र हेतु सम्पूर्ण आधार–रेखा आंकड़े उपलब्ध न हो जाएं तथा यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस प्रकार के प्रारंभिक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का रूपांकन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पूर्वपेक्षा न होगा।

9. मांग–परक प्रबंधन योजना का प्रतिपादन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि की आच्छदित अवधि के लिए एक दृष्टिकोण मांग–परक प्रबंधन परियोजना प्रतिपादित जाएगा तथाइसे आयोग के समक्ष इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे–

(क) मांग–परक प्रबंधन योजना का समग्र लक्ष्य;

(ख) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का वर्णन जो मांग–परक प्रबंधन योजना का भाग बनेंगे;

(ग) योजना के अंतर्गत समग्र रूप से क्रियान्वयन प्रक्रिया तथा प्रत्येक कार्यक्रम की समयावधि;

(घ) अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन संबंधी योजना;

(ङ) कार्यक्रमों का निर्देशात्मक लागत प्रभावोत्पादकता आकलनः

परन्तु इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रथम मांग–परक योजना तैयार की जाएगी तथा बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के समापन तक लागू रहेगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी दृष्टिकोण योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा विकसित किए गए समस्त सुसंबद्व मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम (बहु–राज्यीय कार्यक्रमों को शामिल करते हुए) सम्मिलित किए जाएंगे, जैसे तथा जब ऐसे कार्यक्रम की घोषणा ब्यूरो द्वारा की जाए।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्रमिक आधार पर आगामी वर्ष हेतु दृष्टिकोण योजना से सुसंगत वार्षिक निष्पादन समीक्षा के साथ एक वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा।

(4) मांग–परक प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का

चयन तथा प्राथमिकता के निर्धारण का मागदर्शन निम्न कारकों द्वारा किया जाएगाः

(एक) आयोग द्वारा जारी किए गए लागत प्रभावोत्पादक दिशा– निर्देश;

(दो) विनियम में चिन्हांकित किए गए मांग–परक प्रबंधन उद्देश्य;

(तीन) क्या प्रस्तावित कार्यक्रम ब्यरो द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के अनुपूरक हैं;

(चार) कार्यक्रमों का उच्च दृष्टिकोण से युक्त होना, अतएव उपभोक्ताओं में इनके बारे में जागरूकता के सृजन की संभावनाओं का पाया जाना।

10. आयोग द्वारा समीक्षा तथा मांग–परक प्रबंधन योजना का अनुमोदन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष मांग–परक प्रबंधन योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(2) मांग–परक प्रबंधन योजना को अनुमोदन प्रदान करने हेतु आयोग ऐसी प्रक्रियाएं अपना सकेगा जैसा कि वे कार्यसंचालन विनियमों में निर्दिष्ट की गयी हैं।

11. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम अभिलेख तैयार करना

(1) मांग–परक प्रबंधन योजना में सम्मिलित प्रत्येक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम हेतु एक विस्तृत विवरण, एक पृथक कार्यक्रम अभिलेख में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विस्तृत विवरण में सम्मिलित होगी सामान्य जानकारी, प्रौद्योगिकी उपयोग के बारे में अनुसूची बजट, लागत प्रभावोत्पादक आकलन, विस्तृत क्रियान्वयन योजना बजट संबंधी अनुमान।

(2) प्रत्येक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम हेतु लागत–लाभ विश्लेषण की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श द्वारा लागत प्रभावोत्पादकता के बारे में आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

12. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम अभिलेख का अनुमोदन

(1) किसी मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से अनिवार्य रूप से अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा।

(2) प्रत्येक कार्यक्रम अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) कार्यक्रम का वर्णन;

(ख) कार्यक्रम के उद्देश्य तथा मूलाधार;

(ग) उपभोक्ता खण्ड तथा सहभागिता का अनुमानित स्तर;

(घ) आधार–रेखा का प्राक्कलन;

(ङ) आयोग द्वारा जारी लागत प्रभावोत्पादक दिशा–निर्देशों से संरेखित कार्यक्रम का आकलन;

(च) लागत तथा निष्पादन प्रोत्साहनों की वसूली के बारे में क्रियाविधि;

(छ) विपणन, प्रदाय रणनीति तथा कार्यान्वयन अनुसूची;

(ज) कार्यान्वयन क्रियाविधि, जैसे कि, ऊर्जा सेवा कम्पनियां, मांग–परक प्रबंधन बोली प्रक्रिया, मांग–परक प्रबंधन हेतु संसाधनों का अधिग्रहण, आदि;

(झ) अनुश्रवण तथा मूल्यांकन योजना;

(ञ) उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण/ अध्ययन गोष्ठियां/ कार्यशालाएं।

(3) आयोग, मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम को अनुमोदित करेगा यदि वह विनियमों में किए गए प्रावधानों में निर्धारित उद्देश्य के समान है। आयोग, मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्यों से सुसंगति सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित अथवा चालू कार्यक्रमों के बारे में संशोधन हेतु निर्देश प्रदान कर सकेगा। तथापि, आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्यक्रम में संशोधनों के आरे में उपभोक्ताओं को अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त समय देगा।

13. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हाथ में लेगा।

(2) कार्यक्रम का क्रियान्वयन आयोग द्वारा अनुमोदित रीति में किया जाएगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी त्वरित लाभ प्रदान करने वाले मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हाथ में लेगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सौंपी गयी गतिविधियों का निष्पादन उसके द्वारा स्वंय या फिर किसी समुचित स्वतंत्र इकाई के नियोजन के माध्यम से क्रियान्वित करेगा।

(5) ऐसा करते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम के निष्पादन के दौरान निरन्तरता तथा सुसंगतता बनी रहे तथा उपभोक्ताओं के हित के साथ भी किसी प्रकार का समझौता न हो।

14. लागत की वसूली हेतु क्रियाविधि

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यक्रमों के नियोजन, रूपांकन तथा क्रियान्वयन से संबद्ध शुद्ध धनात्मक लागतें, यदि कोई हों, को चिन्हांकित किया जाएगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत्–दर या फिर किसी अन्य क्रियाविधि द्वारा शुद्ध धनात्मक लागतों की वसूली पद्धति प्रस्तावित कर सकेगा।

(3) लागत वसूली हेतु अर्हता के प्रयोजन से, प्रत्येक कार्यक्रम को :

(क) क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदित कराया जाना;

(ख) पूर्व अनुमोदित कार्यक्रम योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा;

(ग) लागत प्रभावोत्पादक ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को अथवा आयोग द्वारा निर्धारित किए गए तृतीय पक्षकार को उसके द्वारा मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों के मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन को क्रियान्वित करने में समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।

(5) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश दे सकेगा जो भले ही लागत प्रभावोत्पादक न भीहों किन्तु समाज के लिए अत्यंत लाभकारी हो। आयोग, परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा।

15. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मांग–परक प्रबंधन को पूरा करने तथा रिपोर्ट को मानीटर करने के लिए योजना बनाएगा।

16. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम का मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन बाबत् जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों से बचत के मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन हेतु योजना तैयार करेगा।

(2) आयोग द्वारा तृतीय पक्षकार मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन या फिर उसके द्वारा नियुक्ति किए गए किसी अन्य तृतीय पक्षकार के माध्यम से कराया जा सकेगाः

परंतु किसी अभिकरण को नियोजित करते समय आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजित किए गए अभिकरण द्वारा ऐसा कोई अन्य विनियोजन निष्पादित नहीं किया जा रहा है जो राज्य के उपभोक्ताओं के हितों के विरोधाभासी हो।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मांग–परक प्रबंधन से प्राप्त बचत के मापन तथा सत्यापन हेतु आयोग को या उसके द्वारा नियोजित तृतीय पक्षकार को समस्त आवश्यक जानकारी/आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

17. मांग–परक प्रबंधन योजना तथा कार्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रतिवेदन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक छह माह मांग–परक प्रबंधन योजना की प्रगति

से संबंधित प्रतिवेदन तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित समस्त व्ययों की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यक्रम पूर्ण किए जाने संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा इसे कार्यक्रम पूर्ण करने के एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(3) इस प्रतिवेदन में, कार्यक्रम संबंधी व्ययों, उपलब्धियों, निष्पादन तथा परिणामों विवशताओं के साथ– साथ कठिनाईयां जिनका सामना किया गया, निष्कर्षों, अनुशंसाओं, अनुभव के आधार पर प्राप्त शिक्षाएं तथा भविष्यगामी मार्ग संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

18. व्यावृत्ति

(1) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

(2) यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत हो तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों जैसे उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(3) आयोग, समय–समय पर विनियमों के क्रार्यान्वयन के बारे में तथा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया बाबत् ऐसे आदेश तथा व्यावहारिक दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा।

(4) इन विनियमों से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निर्णय, आयोग द्वारा व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लिया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.